मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010
Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102
E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

क्रमांक/भा.चि./2018/ 5184 उज्जैन, दिनांक 4/08/18.

प्रति,

वनमण्ड़लाधिकारी,
(सा.) वनमण्ड़ल,
रतलाम

विषय :– वनक्षेत्रो मे सर्वेक्षण की अनुमति लिए बगैर वनभूमि के प्रस्ताव ऑनलाईन किये जाने बाबद।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./माचि/2018/2420 दिनांक 28-07-18.

--00--

विषयांकित प्रकरण अंतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम के पत्र क्र./3237/शिका./वनभूमि/2018 दिनांक 27-07-18 की प्रति संलग्न कर वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़ के कक्ष क्रं. पी–36 एवं पी–37 मे गढ़ावदिया तालाब निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन भूमि मे प्रारंभिक सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित किया है।

प्रकरण में म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./5/16/81/10/3 दिनांक 23 जुलाई 1983 एवं मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे.) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./905 दिनांक 16-05-2001 तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के नियम व मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 10-11-2003 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम को ऊपर दर्शित वनकक्षो में सर्वेक्षण अनुमति निम्न शर्तों के तहत् प्रदान की जाती है :-

(1) सर्वेक्षण के समय स्थानीय वनाधिकारियों को साथ में रखा जावेगा।

(2) भारत सरकार के निर्देशानुसार न तो वृक्ष काटे जावे और न ही वनभूमि को क्षति पहुचाई जावे, किंतु देखनें (Sightings) के लिये झाड़ियों की सफाई तथा वृक्षों की

Scanned by CamScanner

डालियों की छटाई की छूट रहेगी। यदि वृक्ष काटे जाते है और वनभूमि को क्षति पहुचाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा साथ ही वह वन अधिकारी भी उत्तरदायी होगा जो सर्वे के समय साथ होगा। वृक्षों को काटनें तथा वनभूमि को क्षति पहुचानें पर सर्वेक्षण हेतु दी गई अनुमति निरस्त मानी जावेगी।

(3) सर्वेक्षण के समय पूरा प्रयास किया जावेगा कि, योजना का मार्ग वन क्षेत्र के बाहर से हो यदि वन क्षेत्र के बाहर संभव न हो तो कम से कम वन क्षेत्र प्रभावित हो। यथासंभव योजना की सीमा रेखा वन क्षेत्र के बाहर की तरफ हो।

(4) वन क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के प्रस्ताव भेजते समय सर्वे पर संयुक्त हस्ताक्षरित प्रतिवेदन साथ लगावें तथा उन समस्त विकल्पों का उल्लेख करें, जिसमें प्रस्तावित योजना वन क्षेत्र से बाहर अन्य स्थल पर क्रियान्वित नही की जा सकती है।

(5) सर्वेक्षण की अनुमति प्राप्त करने का तात्पर्य नही लगाया जावे कि, उक्त प्रकरण में वन भूमि प्राप्त हो ही जावेगी।

(6) यदि जाँच और सर्वे में वनों या वृक्षों को काटा जाना प्रस्तावित हो तथा वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान द्वारा सीमांकित वनखण्ड़ शामिल हो तो क्रेन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सर्वेक्षण जांच तथा खोज कार्य नही किया जा सकेगा तथा इन परिस्थितियों में यह अनुमति लागू नही होगी।

(बी.एस. अन्निगेरी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्रमांक/मा.चि./2018/5185 उज्जैन, दिनांक 4/08/18

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(बी.एस. अन्निगेरी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

3/8/18

Scanned by CamScanner